

सं. एन-35018/28/2022-कार्यालय एडी(सीआरएस)

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

सी. आर. एस. सेल, कमरा सं.: 116, 'ए' विंग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 06 जून, 2024

सभी सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के लिए एडवाइजरी

सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए मौजूदा नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार, सीआरएस के लिए अनुमति मंजूरी करार (जी ओ पी ए) शुरुआती 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। इसके बाद, अनुमति को एक बार में पांच वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अनुमति के विस्तार के लिए आवेदन जीओपीए की समाप्ति से एक वर्ष पहले प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. यह देखा गया है कि (जी ओ पी ए) के विस्तार के लिए अनुरोध समय पर नहीं भेजा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर मौजूदा अनुमति करार के विस्तार में देरी होती है। इसके अलावा, वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस (डब्ल्यू ओ एल) के नवीकरण के लिए, अनुमति करार की वैधता अनुरोधित नवीकरण अवधि के अनुरूप कम से कम एक (01) वर्ष होनी चाहिए।

3. उपर्युक्त के मद्देनजर, सभी सामुदायिक रेडियो स्टेशनों, जिनका जीओपीए 12 महीने के भीतर समाप्त होने वाला है, को सलाह दी जाती है कि वे जीओपीए के विस्तार के लिए आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से भेजें:

(क) जीओपीए नवीकरण/विस्तार फॉर्म की विधिवत हस्ताक्षरित एवं मुहर लगी प्रति।

(ख) अगले पांच वर्षों के लिए वैधता वाली बैंक गारंटी।

(ग) गृह मंत्रालय (एमएचए) से सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने के लिए स्व-घोषणा और शासी निकाय का विवरण। स्व-घोषणा और शासी निकाय का विवरण केवल निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए, साथ ही पूर्ण आवश्यक विवरण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। (केवल निजी संगठन संस्थान के मामले में)

पृष्ठ(1) का (2)

Pg(1) of (2)

4. जीओपीए नवीकरण/विस्तार प्रपत्र और अन्य दस्तावेज, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट - www.mib.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं या crscell-moib@nic.in पर ईमेल के माध्यम से अनुरोध किया जा सकता है।

(गौरीशंकर केसरवानी)

अतिरिक्त निदेशक (सीआरएस)

दूरभाष: 011-23386547

सेवा में,

सभी सामुदायिक रेडियो स्टेशन